प.सं. 9-9-2018 (शै.)/मसारावेविप्र/ दिनांक : 28.08.2019

प्रति,

समस्त वेदपाठशाला प्रबंधक/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाइ अध्यापक

विषय : छात्रों की उपस्थिति एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संवंध में ।

महोदय,

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को मासिक आधार पर अनुदान भुगतान करने हेतु वेदपाठशालाओं / इकाईयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं अध्यापकों की मासिक उपस्थिति पत्रक प्रत्येक माह की 20 तारीख तक इमेल /पोस्ट द्वारा प्रेषित करने हेतु पूर्व में भी कई बार निरन्तर सूचित किया गया है। इसके साथ ही किसी छात्र के पाठशाला /इकाइ छोडकर चले जाने पर तुरन्त इमेल / दूरभाष के माध्यम से प्रतिष्ठान (संबंधित कार्य सहायक) को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रतिष्ठान से अनुदानित कुछ वेदपाठशालाओं / इकाईयों से छात्रों की उपस्थिति पत्रक निर्धारित समयावधि में तथा छात्रों के पाठशाला/ इकाई छोडकर चले जाने पर भी सूचित नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण प्रतिष्ठान द्वारा वेदपाठशालाओं / इकाईयों को मासिक आधार पर अनुदान भुगतान का कार्य सूचारु रुप से सम्पन्न नहीं हो पा रहा है ।

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित समस्त वेदपाठशालओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाईयों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के अनुसार मासिक आधार पर अनुदान (अध्यापक मानदेय, छात्रों की छात्रवृत्ति) भारत सरकार के PFMS system (Public Financial Management System) के द्वारा भुगतान किया जाता है । प्रतिष्ठान द्वारा वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाईयों को किए गए अनुदान भुगतान की निगरानी (Monitoring) भारत सरकार के PFMS System द्वारा मासिक आधार पर की जाती है तथा प्रतिष्ठान को स्वीकृत बजट निर्धारित समयावधि में व्यय नहीं होने पर निरस्त कर दिया जाता है ।

अत: समस्त वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाईयों को पुन: निर्देशित किया जाता है, कि जुलाई–अगस्त, 2019 की उपस्थिति पत्रक एवं पाठशाला / इकाई छोडकर गए छात्रों की सूची दिनांक 31.08.2019 इमेल से सूचित करें। अन्यथा आपकी वेदपाठशाला/ इकाई का माह जुलाई-अगस्त, 2019 का अनुदान नहीं दिया जाएगा ।

विद्यालय छोडकर गए छात्रों का नाम समय पर सूचित नहीं करने पर छात्र को दी गई रखरखाव छात्रवृत्ति एवं छात्र स्वत: व्यय राशि को पाठशाला को देय अनुदान एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक के मानदेय से समायोजित की जाएगी ।

वेदपाठशाला / इकाईयों से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपस्थिति पत्रक एवं छात्र छोडकर चले जाने की सूचना नहीं देने पर उक्त माह का अनुदान निरस्त कर दिया जाएगा जिस पर किसी भी प्रकार का पुर्नविचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

(प्रो.विरुपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव